संक्षिप्त

मानकों के उल्लंघन पर कार्यवाही

कोटपूतली। उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिकारी रमन यादव (प्रभार भिवाड़ी एवं कोटपूतली- बहरोड़) द्वारा 23 और 24 मार्च 2026 को क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में दो दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पैक्ड वस्तुओं में नेट कंटेंट (शुद्ध मात्रा) की जांच करना और पैकर्स पंजीकरण के नियमों का सत्यापन करना था।निरीक्षण के दौरान 23 मार्च को केशवाना स्थित विआरबी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड और घीलोठ स्थित अर्डेक्स एंड्यूरा प्राइवेट लिमिटेड एवं 24 मार्च को भिवाड़ी स्थित भिवाड़ी पॉलिमर्स लिमिटेडका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश इकाइयों में उत्पादों का नेट कंटेंट मानकों के अनुरूप और संतोषजनक पाया गया। हालांकि, नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया, इस दौरान अर्डेक्स एंड्यूरा प्राइवेट लिमिटेड में कुछ माप-तौल यंत्र अप्रमाणित पाए गए, जिस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

हनुमानप्रसाद बने शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश मंत्री

निवाई। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश कार्यकारिणी में हनुमान प्रसाद बैरवा को सर्वसम्मती से प्रदेश मंत्री के पद पर मनोनीत किया है। जिला मंत्री मुकेशकुमार मीणा ने बताया कि दौसा में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के तत्वावधान में सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार की अध्यक्षता में प्रान्तीय महासमिति अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में भीलवाड़ा के वीरेन्द्र शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष, करोली के रामदयाल मीणा को महामंत्री, निवाई के हनुमान प्रसाद बैरवा को प्रदेश मंत्री, हेमंत जांगिड को कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। अधिवेशन में टोंक जिले से जिलाध्यक्ष धनसिंह राजावत, रमेशकुमार मीणा, मोलेश मीणा, ताराचंद बैरवा, शंकरसिंह राजावत, सोहनलाल वर्मा व शिवराज शर्मा सहित कई शिक्षकों ने भाग लिया।

पिकअप में सवार बालक की मौत

निवाई। बरौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी मोड़ के समीप एक होटल के पास खड़ी एक पिकअप के तूड़ी से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। जिससे पिकअप में सवार एक 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बरौनी पुलिस सहायक उप निरीक्षक शंकरलाल चौधरी मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और बालक के शव को कब्जे में लेकर निवाई के राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक बालक की पहचान ताहिर पुत्र दाऊद बंजारा निवासी करीमपुरा बरौनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्ट मार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मेगा जन कल्याण शिविर आयोजित

शाहपुरा । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान के तहत एक विशाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर एक्शन एड एनजीओ एवं राजस्थान विश्वकर्मा निर्माण मजदूर संघ के संयुक्त सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मौके पर ही राहत पहुंचाई गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के सचिव पवन कुमार जीनवाल ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना है। शिविर के दौरान घुमंतू जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष काउंटर लगाए गए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

100 दिवसीय टीबी स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ

भरतपुर । विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में 100 दिवसीय टीबी स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यूपीएचसी तिलक नगर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव कपूर, अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ. बीएल मीणा तथा डीटीसीएम एचओ डॉ. अमित श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

■ 'टीबी मरीजों के उपचार के दौरान पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'निक्षय मित्र' बनाए जाएंगे'

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान सरकार द्वारा जिले को उपलब्ध कराई गई नई हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन का उद्घाटन किया गया। रेडियोग्राफर बलराम सैनी ने 100 दिवसीय टीबी स्क्रीनिंग अभियान के अंतर्गत पहला एक्स-रे कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की।

इस अभियान के तहत अगले 100 दिनों तक जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियमित शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संभावित टीबी मरीजों की जांच कर समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस अभियान के दौरान हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन की सहायता से संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे रोग की शीघ्र पहचान कर उपचार प्रारंभ किया जा सके। टीबी मरीजों के उपचार के दौरान पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'निक्षय मित्र' बनाए जाएंगे, जो मरीजों को पोषण किट प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह, यूपीएचसी प्रभारी डॉ. हरिओम पाठक, कार्यक्रम समन्वयक यामिनी अवस्थी, लेखाधिकारी मुकेश, एसटीएस पवन शर्मा, एसटीएलएस जितेंद्र शर्मा, डीईओ मेघश्याम शर्मा, रेडियोग्राफर सोनवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित

टोंक। निवाई थाना क्षेत्र के विभिन्न थानों के सीएलजी (कम्युनिटी लाइजन ग्रुप) सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जो जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर आयोजित बैठक में निवाई सदर, दतवास और शहर थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य, शांति समिति के सदस्य, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक शामिल हुए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रकाश शर्मा ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर गंभीरता से चर्चा की गई। उन्होने कहां कि उपस्थित सदस्यों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और लिंक के माध्यम से होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक किया और उनसे सतर्क रहने की अपील की। इसके अलावा, बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से इस संबंध में सहयोग की अपील करते हुए संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया। वही बैठक में राजकोप सिटीजन ऐप के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

चौमूं में बजट घोषणा की एक दर्जन से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा

चौमूं / कालाडेरा। चौमूं विधानसभा क्षेत्र में सरकार के द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के साथ ही मुख्यमंत्री सड़क योजना मिसिंग लिंक सड़क योजना के अंतर्गत एक दर्जन से ज्यादा सड़कों की घोषणा की थी। साथ ही इन सड़कों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई। लेकिन धरातल पर नई सड़कों का समय पर कार्य प्रारंभ नहीं होना व गारंटी समय की सड़कों का समय पर रिपेयरिंग (पेंचवर्क) नहीं होने के कारण आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महिनों बाद आने वाले मानसून को लेकर अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा बजट घोषणा की नई सड़कों का समय पर कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया साथ ही जो सड़के गारंटी समय में है उन सड़कों का समय रहते रिपेयरिंग (पेंचवर्क) नहीं होने के कारण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।

गौरतलब है कि चौमूं विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 सड़कों का कार्य

■ सड़कों का समय पर रिपेयरिंग नहीं होने के कारण आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा

पूर्ण नहीं है जानकारी के अनुसार सिरसा रोड़ से गोरो की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य, सिरसा फटाक से शिवजी मन्दिर से रणजीतपुरा तेजाजी मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य, सरगोठ सड़क से रावों की ढाणी स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य, दुर्गा का बास सड़क से केरली की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य, कानरपुरा से स्वामियों की ढाणी होते हुए दौलतपुरा मंडा भिंडा तक सड़क निर्माण कार्य, गोविन्दगढ से डोला की ढाणी (नांगल कला) तक सड़क निर्माण कार्य, एन एच 52 सीकर रोड से भैरू ककरालिया की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य, बगडियो की ढाणी से छोटा गुड्डा तक सड़क निर्माण कार्य, हस्तेड़ा सड़क से किशन मानपुरा गांव की ओर तक सड़क निर्माण कार्य, छोटा गुड्डा से नांगल गोविन्द तक सड़क निर्माण कार्य, डोला का बास से घिनोई तक सड़क निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में करवाना था। लेकिन जिम्मेदारी अधिकारीयों की ठेकेदार से मिली भगत के कारण गठिया निमार्ण करने के साथ ही अधिकांश सड़कों का निर्माण कार्य समय पर नहीं किया।

वहीं कई सडकों का आदा अधुरा कार्य कर बन्द कर दिया गया। साथ ही कानपुरा से शिम्भुपुरा, सबलपुरा से ढाणी निर्झरना तक, हस्तेड़ा मोड़ से गोविन्दगढ रोड़, कुमावतों की ढाणी आलीसर से बाणियो वाली ढाणी, कालाडेरा से विमलपुरा, रेनवाल रोड़ से कालाडेरा से कुमावतान, सबलपुरा से घिनोई, आष्टी कलां से आष्टी खुर्द, उदयपुरिया पुरानी टंकी से ढाणी बाबू गुर्जर की सड़कों का अधूरा निर्माण कार्य है।

जल संरक्षण कार्य सहित धरातल पर विकास कार्यों का निरीक्षण

अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने रामगढ पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा कर जल संरक्षण, पीएम आवास सहित पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने रामगढ के ग्राम नंगली मेघा, सहजपुर व मूनपुर आदि क्षेत्रों का दौरा किया। जिसमें उन्होंने रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पंचायत पौधशाला, रिचार्ज शाफ्ट, मैजिक पिट, पौधारोपण कार्य एवं पीएम आवास कार्यों का निरीक्षण कर विकास अधिकारी और नरेगा के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग के स्वीकृत एवं प्रगतिरत सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूर्ण करें तथा नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार करें। इसी प्रकार उन्होंने निर्देश दिये कि प्रति ग्राम पंचायत

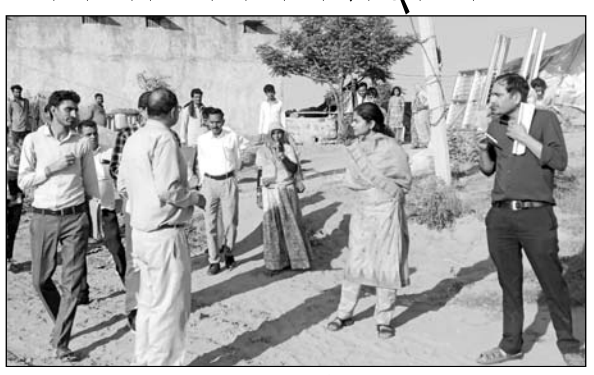
जिला कलक्टर ने रामगढ क्षेत्र का दौरा किया।

100-100 व्यक्तिगत रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने के दिए गए लक्ष्य को वर्षाऋतु से पूर्व अर्जित करना सुनिश्चित करें। इसके लिए आमजन को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिये कि पंचायत पौधशालाओं में और पौधे तैयार करें, ताकि वर्षाऋतु में पौधे लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी पौधे उपलब्ध हो सके। उन्होंने ग्रामीणों से गांव में बनाए जा रहे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सहित विकास कार्यों तथा सरकारी योजनाओं के संबंध में बातचीत कर फीडबैक लिया।

उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की मांग

मनोहरपूर । राजस्थान में आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच विभिन्न मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से अपील की है कि उमर ख़ालिद को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाए।

'समाज से टीबी के प्रति डर व भेदभाव को खत्म करना होगा'

टोंक। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम यूपीएचसी हाऊसिंग बोर्ड टोंक में आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवस कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि टीबी केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है, हमारा लक्ष्य है कि जिले के हर गांव और ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें। आगामी 100 दिनों के इस विशेष अभियान में हम घर-घर जाकर संभावित रोगियों की पहचान करेंगे और उन्हें उपचार से जोड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा श100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियानश के पोस्टर का विमोचन किया गया।

क्षय रोग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम यूपीएचसी हाऊसिंग बोर्ड टोंक में आयोजित किया ।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमें एकजुट होकर सामाजिक सहभागिता निभानी होगी। इस मौके पर पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने टीबी जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज से टीबी के प्रति डर और भेदभाव को खत्म करना होगा ताकि रोगी बिना झिझक इलाज करवा सकें। साथ ही इस दौरान पार्षद एवं निक्षय मित्र बादल साहू एवं रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल संस्थान की ओर से टीबी रोगियों को पोषण किट का वितरण किया गया, उन्होंने सक्षम नागरिकों से श्निक्षय मित्रश

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अशोक कुमार जैन पुत्र श्री शिखरी लाल जैन, निवासी-प्लॉट नम्बर-27 सूरज नगर, पश्चिम सिविल लाईन्स, जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। मेरे अभिभाष्य को बाबा आर.एन. गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर रजिस्ट्रेशन नम्बर 59/एल.सी. द्वारा अपनी आवासीय योजना विजय नगर रेलवे स्टेशन के पास, फागी रोड, चाकसू, जिला-जयपुर द्वारा प्लॉट नम्बर-बी 143 से बी 152 व बी 141 से बी 162 जो लगभग 20,000 गज़ जमीन है जरिये आवंटन पत्र वर्ष 1997 में आवंटित किए थे तथा बाबा आर.एन. गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा उक्त वर्णित सभी प्लॉटों के मूल दस्तावेज़ आवंटन पत्र नक्शा रसीद आदि मेरे अभिभाष्य को सेम्पला दिए थे और मेरे अभिभाष्य द्वारा सोसायटी के पदाधिकारियों से उक्त वर्णित प्लॉटों का भौतिकरूप से कब्जा प्राप्त कर चारो तरफ बाउण्ड्री वॉल, कमरे, रसोई, बाथरूम का निर्माण करवाकर गेट लगवा लिया था तथा नल-बिजली के कनेक्शन प्राप्त कर लिए थे तथा मैन गेट पर ताला लगाकर मेरे अभिभाष्य ने गेट पर अपना नाम पता व मोबाइल नम्बर लिख रखे है इस प्रकार मेरा अभिभाष्य उक्त वर्णित प्लॉटो का मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी चला आ रहा है। उक्त वर्णित प्लॉटो के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति, संस्था निकाय आदि किसी प्रकार से विक्रय इकरार, मुख्त्यार, बख्शीश आदि किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति उक्त वर्णित प्लॉटो के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार करता है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा आर उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। समस्त सूचित रहे।
जयपुर (रामचन्द्र मचवाल), एडवोकेट
दिनांक-24.03.2026 मो. नं. 9414443123

खोया पाया

मेरे प्लॉट नम्बर-34 ब्रिज नगर-।। भरतपुर, राजस्थान का मूल एग्रीमेंट एवं कुछ अन्य कागजात जगतपुरा, जयपुर में कहीं गिर गए है, मिलने पर सूचित करें-सीमा मीणा-9876326334

मेरे फ्लैट नम्बर-2/618 (G.F.) जवाहर नगर जयपुर के मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिक्लेरेशन, अदैय प्रमाण पत्र, कन्वेंस डीड, पर्पेटुअल लीज डीड-जवाहर नगर में कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें-नारायणदास केवलानी-8094444080

भूखण्ड संख्या एफ/55 क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर जेडीए स्कीम हरित विहार वाटिका तह. सांगानेर जिला जयपुर का जेडीए द्वारा जारी ओरिजीनल अलॉटमेन्ट लेटर कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। संजय यादव-मां.नं. 8209103792

मेरे प्लाट नं. 9/A-1/10 जे.डी.ए. की योजना रिंग रोड परियोजना ग्राम बुरथल बस्सी जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन पत्र और पंजीकृत जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान एवं पट्टे के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर कहीं गुम हो गये है सूचित करें-नारायण लाल मीणा मो. 9672110999

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक : 90A/JDA/2025-26/100606 लोक सूचना दिनांक : 24.03.2026
श्री RAM GOPAL MEENA पुत्र श्री RAM NARAYAN MEENA जाति MEENA निवासी A-71, LOTUS VILLA, BARH CHELA, JAIPUR, RAJ. 302017 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य (पेट्रोल पम्प) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
सुन्दरपुरा, आमेर (जयपुर)	1.) रामगोपाल पुत्र रामनारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. बीढ चेता जगतपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर खातेदार	584	0.24	0.2
		586	0.0858	0.0858
		585	0.083	0.0542
		कुल		0.34

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in) पर "निज़ाति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-03-2026 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन-13, जयिप्र, जयपुर

आम सूचना
हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण चंदन शर्मा, राहुल शर्मा व प्रदीप लखानी द्वारा मकान नम्बर 3726, तिवाडी जी चौक, नीमडी पुलिस थाने के पास, नाहरगढ़ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर को नरेन्द्र पारीक पुत्र स्व. श्री राधामोहन, श्याम कुमारी पत्नी स्व. सत्यनारायण पारीक, बनवारी लाल पारीक पुत्र स्व. श्री बंशीधर व अमित पारीक पुत्र स्व. श्री घनश्याम निवासी पारीकों का मौहल्ला, सिरसी, जयपुर से क्रय करने का अनुबंध किया गया है। उक्त सयम्पत्ति को बेचने बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दस्तावेजों के साथ 15 दिवस में मुझसे सम्पर्क करते हुए आपत्तियों से अवगत करावे अन्यथा मेरे अभिभाष्यगण द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया जावेगा व इसके बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर, दिनांक : 24.03.2026 मुकेश चन्द मीणा (एडवोकेट) बी-39 बाल नगर, करतारपुरा, जयपुर, 9414200031

आम सूचना
सूचित किया जाता हे की वाहन संख्या RJ60 CD 6640 जो की मेरी माता सरला जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय हरीश चंद्र जैन के नाम से हे, जिनका 30.12.25 का स्वर्गवास हो गया है। क्योंकि हमारे माताजी और पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए वाहन उनके पुत्र आलोक जैन के नाम किया जाता है, इसमें उनकी बहिन अलका खटोड़ की भी सहमति है। यदि किसी व्यक्ति को इस से कोई आपत्ति है तो 07 दिन में RTO Jhalana Dungari, जयपुर में सम्पर्क करें। आलोक जैन

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती जुबेदा खातून पत्नी मोहम्मद इशाक जाति मुसलमान निवासी मकान नंबर सी-203 पुराना विद्याधर नगर जयपुर राज. के द्वारा अपने स्वामित्व के खरीदशुदा व कब्जेशुदा सम्पत्ति का एक आवासीय प्लाट मकान नम्बर सी-203 पुराना विद्याधर नगर जयपुर राज. पर स्थित है जिसकी नाप 12½ बाई 36 फिट कुल एरिया 50 वर्गगज है के संबंध मे एक रजि. पावर ऑफ अटर्नी दिनांकित 26.02.2024 को मोहम्मद मुस्ताक पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान निवासी मकान नंबर सी-85 पुराना विद्याधर नगर जयपूर राज. के हक में उप पंजीयक कार्यालय पंचम के कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाई थी जिसे मेरी अभिभाष्या ने पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है अत उक्त मुख्त्यारनामा के आधार पर मोहम्मद मुस्ताक को कोई कार्यवाही उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये जाने का अधिकार नहीं है। इसलिये उक्त रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर मोहम्मद मुस्ताक के द्वारा किसी प्रकार का कोई लेनदेन/अनुबंध या दस्तावेज बनाया जाता है तो वह पूर्ण रूप से अमान्य रहेगा।
दिनांक-24.03.2026 रवि लोचन शर्मा, एडवोकेट मो.नं. 9829205786

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य ने प्लाट नम्बर 3, शिवाजी नगर वाईस गोदाम, ग्राम सुदर्शनपुरा हवा सडक, जयपुर कुल क्षेत्रफल 146 वर्गगज है को श्री मोहित सैनी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल सैनी व श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री गजानन्द सैनी से खरीदने का इकरार किया है, जिस किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक को उक्त विक्रय में कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो अन्दर मियाद सात दिवस में मय सबूतों के सम्पर्क करें, बाद मियाद गुजरने के कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। सूचित रहे।
मनोज कुमार शर्मा, एडवोकेट
प्लाट नं. सी-69, महेश नगर, 80 फीट जोड, जयपुर (आर/2467/03) मो.नं. 9829160690

नाम परिवर्तन
मैं प्रिया सोनी ने अपना नाम प्रिया हरिप्रसाद वर्मा से बदलकर प्रिया सोनी पत्नी अंकुर सोनी निवासी 5-ए शांति निकेतन हरूमल कॉलोनी, गायत्री मंदिर रोड, अलवर रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मैं मीरा श्रीवास्तव (Meera Shreevastav) पत्नी विनोद कुमार निवासी बी-262 (विला नं. 34) आर्केडिया ग्रीन्स, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली एस्टेट सिरसी जयपुर-302012 में निवास करती हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया है और अब से मुझे मीरा श्रीवास्तव (Meera Srivastava) के नाम से जाना जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया है।

I have changed my name from ADUTYA SINGH TO ADITYA SINGH for all purposes R/o 3 Naru Path Govind Marg, Jawahar Nagar, Jaipur.

I have changed my name from KARTIKEYA SINGH TO KARTIKAYA SINGH for all purposes R/o 3 Naru Path Govind Marg, Jawahar Nagar, Jaipur.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:9552 जाहिर आम-सूचना दिनांक:06.01.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 113/276 (LIG) का आवंटन श्री नीरज कुमार गौतम पुत्र श्री जीतसिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 508 दिनांक 27-06-2002 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1521/2710 दिनांक 28-06-2013 के द्वारा श्री अमीनुद्दीन कागजी पुत्र श्री सलीमुद्दीन कागजी के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 18.07.2013 को कर दिया गया। श्री अमीनुद्दीन कागजी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 30.10.2013 को श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री मुकेशपाल शर्मा को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक (अष्टम्) जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 01.10.2022 को श्रीमती किरन गोयल पत्नी श्री राजेश गोयल को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेती श्रीमती किरन गोयल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती किरन गोयल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, सांगानेर जयपुर)
E-mail :- eesanganerzone01@gmail.com
क्रमांक :- जसअ / 2025 / 551 दिनांक: 19.03.2026
निविदा सूचना संख्या 263-270/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि. अभि. (सांगानेर जोन) से संबंधित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in & www.jaipurmc.org पर देखी जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number JMC2526WSOB02953 से JMC2526WSOB02960 है।
अधिशाषी अभियंता सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर
राज.संवाद / सी / 25 / 23206

कार्यालय उपायुक्त (झोटवाड़ा जोन / वैशाली नगर जोन नगर निगम, जयपुर,
क्रमांक:-एफ -3()/झो. जोन / वै.न.जोन/ज.न.नि/2026/1625
सार्वजनिक सूचना दिनांक-26.03.26
भूखण्ड संख्या 62 ए (बी) डॉक्टर्स कॉलोनी, सेक्टर नं0 8 डीसीएम अजमेर रोड जयपुर (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह के पक्ष में क्षेत्रफल 466.66 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख क्रमांक 191 दिनांक 28.03.2005 को जारी किया गया था। रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर आवेदक श्रीमती साधना कंवर पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज का नाम हस्तानान्तरण चाहा हैं। श्रीमती साधना कंवर पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह नाम हस्तानान्तरण को जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त झोटवाडा जोन) में प्रस्तुत कर्ें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी ।
उपायुक्त झोटवाडा जोन नगर निगम, जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(नन्दपुरी रेल्वे अण्डरपास के पास, जगतपुरा, जयपुर)
क्रमांक :- जसअ /